Title: Need to pay early the crop insurance amount to the famer in Banaskanth Gujarat by the General Insurance Company (GIC) Ltd.

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : महोदय, जून 1999 में मेरे संसदीय क्षेत्र गुजरात के बनासकांठा में फसले बोई गई थई जिसका बीमा भी करवाया गया और प्रीमियम भी भरा गया था। जी.आई.सी. ने तीन माह के बाद प्रीमियम यह कह कर वापिस कर दिया कि नो सोविंग नो इश्योरेंस लेकिन यह बात सही नहीं है। जून के बाद जब भी थोड़े-थोड़े अन्तराल के बाद बारिश हुई थी उसमें किसानों ने इस आशा के साथ फसल को बोया था कि शायद अब बारिश आ जाएगी। लेकिन अगस्त में कोई बारिश नहीं हुई जिसके कारण सारे खेत सूख गये। नॉबार्ड की नीति के अनुसार अप्रैल से सितम्बर तक किसानों ने जो भी बोया था, उसकी बीमा राशि मिलनी चाहिए थी , जी.आई.सी. ने जब प्रीमियम वाप्स किया तो किसानों और किसान प्रतिनिधियों के उच्च स्तर पर बातचीत की जिसके बाद केन्द्र की एक टीम ने 18 जनवरी 2000 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उन्होंने पाया कि किसानों की बात ठीक है। उन्होंने पाया कि किसानों ने फसल को बोया भी है। जी.आई.सी. तो सोचती है कि अकाल में किसानों ने कुछ बोया ही नहीं है। इन सब कारणों से किसान बहुत परेशान हैं क्योंकि इस बार भी बारिश न होने से अकाल जैसी स्थिति है। बैंक उनसे पैसा वापिस करने हेतु नोटिस दे रहे हैं, उनके खेत सूख रहे हैं।

इन परिस्थितियों में सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि संबंधित मंत्री और संबंधित व्यक्तियों को निर्देश दिया जाये कि किसानों की दयनीय हालत को देखते हुए बीमा का भुगतान जल्दी किया जाये।